यायालय :— उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 — 105 / 2019(2019 / 00169)

अनवान : —

1. भूपसिंह पुत्र चन्दू जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. चन्दू पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. रेशमा पुत्री चन्दू जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. गोरा पुत्री चन्दू जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. कृष्णा पुत्री चन्दू जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री भानूप्रताप सिंह **वादी**
श्री राजेन्द्र सहारण **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 08/04/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम मुन्सरी बारानी के वर्तमान खाता संख्या 59 / 60 के खसरा नम्बर 152 की 8.751 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 559 / 147 की 5.439 हैक्टेयर कुल खसरा 2 की कुल 14.190 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 चन्दू के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा जोराराम की खातेदारी हुआ करती थी। जोराराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी चन्दू ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी चन्दू ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी चन्दू के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:43:57 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी प्रतिवादी संख्या 1 चन्दू को वादी के दादा जोराराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जो

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

जमाबन्दी खतौनी ग्राम मुन्सरी बारानी सम्वत 1984 व खतौनी दरमियानी ग्राम मुन्सरी बारानी सम्वत 1999 एवं 1985 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 2 ता 4 वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक में हिस्सा तर्क किया हुआ है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी भूपसिंह पुत्र चन्दू जाति जाट निवासी मुन्सरी के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबंदी ग्राम मुन्सरी बारानी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 59/60 प्रदर्श 1, सरपंच ग्राम पंचायत मुन्सरी द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 2, खतौनी जमाबन्दी ग्राम मुन्सरी बारानी सम्वत 1984 प्रदर्श 3, खतौनी दरमियानी ग्राम मुन्सरी बारानी सम्वत 1999 प्रदर्श 4, मुन्सरी बारानी खतौनी जमाबन्दी सम्वत 1985 प्रदर्श 5, मुन्सरी बारानी जमाबन्दी सम्वत 1993 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा ग्राम मुन्सरी बारानी के वर्तमान खाता संख्या 59/60 के खसरा नम्बर 152 की 8.751 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 559/14 [illegible] कुल खसरा 2 की कुल 14.190 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि ह[illegible] प्रतिवादी सं 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे [illegible]नामा में स्वीकार किया है।इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:43:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्र0 सं0 105/2019 अनुवान भूपसिंह आदि बनाम चन्दू आदि धारा 88 आरटीएक्ट

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम मुन्सरी बारानी के वर्तमान खाता संख्या 59/60 के खसरा नम्बर 152 की 8.751 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 559/147 की 5.439 हैक्टेयर कुल खसरा 2 की कुल 14.190 हैक्टेयर बारानी प्रतिवादी संख्या 1 चन्दू के नाम खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी भूपसिंह को 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 चन्दू 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 द्वारा वादी के पक्ष में त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/04/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:43:57 IST
Reason: SelfAttested